

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

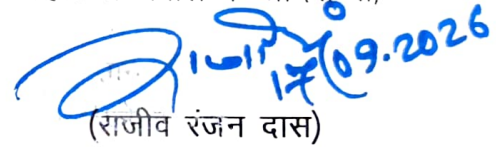
॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-17.09.2026

सं०-12/पद०-3002/2026 सा०प्र०- 17165 /बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित वरीय उप समाहर्ता को अपने कार्यों के अतिरिक्त स्तंभ-3 में अंकित जिले के सदर अनुमंडल-2 के अंतर्गत कंडिका-4 में अंकित अंचलों के राजस्व सीमा में भूमि सुधार उप समाहर्ता के रूप में कार्य करने हेतु शक्ति प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	वरीय उप समाहर्ता का नाम	जिला का नाम	संबंधित सदर अनुमंडल-2 के अंचलों का नाम
1	2	3	4
01	सुश्री श्वेता कुमारी, बि०प्र०से० (को०क्र०-931/26) वरीय उप समाहर्ता, नालंदा	नालंदा	1. नूरसराय 2. रहुई 3. सरमेरा

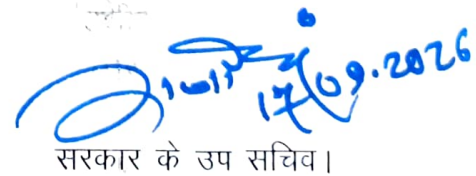
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-12/पद०-3002/2026 सा०प्र०- 17165 /पटना, दिनांक- 17.09.2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई० टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/ जिला पदाधिकारी, नालंदा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।